

मध्यप्रदेश विधान सभा

"पत्रक भाग-दो"

गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी, 2021 (माघ 8, शक 1942)

पंचदश विधान सभा के जिन माननीय सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है अथवा जिनके द्वारा अभी तक डिजिटल सिग्नेचर निर्मित नहीं करवाये गये हैं, उनके ऑनलाईन प्रश्न प्रेषण, ध्यानाकर्षण आदि कार्यों हेतु केन्द्र सरकार की नवीन गाईड-लाईन के अनुसार Class III Digital Signature-Individual (Combo) डिजिटल सिग्नेचर 03 वर्ष की वैधता-अवधि हेतु बनवाये जा रहे हैं।

अतः इच्छुक माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे भोपाल प्रवास पर होने पर अपना आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छायाप्रति लेकर सुविधानुसार प्रश्न शाखा में व्यक्तिशः उपस्थित होने का कष्ट करें।

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.